न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 213/2025(GCMS : 2025/329)

इण्डियन ओवरसीज बैंक, श्रीगंगानगर 5–ए–8, जवाहर नगर, मीरा मार्ग, श्रीगंगानगर (राज)–335001

बनाम

1. **बलविन्द्र सिंह** पुत्र श्री सुखदेव सिंह
   (अ) परमानेंट/कम्युनिकेशन एड्रेस : 5–ए–5, जवाहर नगर, मीरा मार्ग, श्रीगंगानगर (राज.)–335001
   (ब) ऑफिस एड्रेस : केयर ऑफ सत्यम हॉस्पिटल, जवाहर नगर, मीरा मार्ग, श्रीगंगानगर (राज.)–335001
2. **श्रीमती सुखवीर कौर** पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह
   परमानेंट/कम्युनिकेशन एड्रेस : 5–ए–5, जवाहर नगर, मीरा मार्ग, श्रीगंगानगर (राज.)–335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण बलविन्द्र सिंह एवं सुखवीर कौर को ऋण सुविधा के रूप में 16,50,000/–रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 30.11.2024 को 16,73,817/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी बलविन्द्र सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 114 का पूर्वी भाग (साईन प्लान के अनुसार), शिवाजी नगर, चक 3 ई छोटी मुरब्बा (एसक्यू) नं. 44, किला नं. 19, श्रीगंगानगर (राज.) (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 750 वर्गफुट)** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण बलविन्द्र सिंह एवं सुखवीर कौर** को दिनांक 15.06.2022 को 2,50,000/– रूपये (आरएचडीईसी में) एवं दिनांक 01.12.2022 को 14,00,000/– रूपये (आरएसयूईपीएच में) कुल 16,50,000/– (सोलह लाख पचास हजार रूपये) का ऋण स्वीकृत किया है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बलविन्द्र सिंह ने अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति **प्लॉट नं. 114 का पूर्वी भाग (साईन प्लान के अनुसार), शिवाजी नगर, चक 3 ई छोटी मुरब्बा (एसक्यू) नं. 44, किला नं. 19, श्रीगंगानगर (राज.) (बैंक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:47:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

	में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 750 वर्गफुट), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 09.12.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।** **जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी बलविन्द्र सिंह की अचल आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 114 का पूर्वी भाग (साईन प्लान के अनुसार), शिवाजी नगर, चक 3 ई छोटी मुरब्बा (एसक्यू) नं. 44, किला नं. 19, श्रीगंगानगर (राज.) (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 750 वर्गफुट),** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। **जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी** नोटिस 11.12.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.12.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से** भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी बैंक ने 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण की सम्पत्ति पर दिनांक 05.03.2025 को चस्पा कर, दो स[illegible] पंजाब केसरी में दिनांक 08.03.2025 को प्रकाशित करवा[illegible] है [illegible] के अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस [illegible] जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बक[illegible] ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:47:18 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **बलविन्द्र सिंह** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी इण्डियन ओवरसीज बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी बलविन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 114 का पूर्वी भाग (साईन प्लान के अनुसार), शिवाजी नगर, चक 3 ई छोटी मुरब्बा (एसक्यू) नं. 44, किला नं. 19, श्रीगंगानगर (राज.) (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 750 वर्गफुट), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:47:18 IST
Reason: SelfAttested